श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०, हनुमानगढ़ जं०

फोन नं0 01552–260793, 260522

क्रमांकः–गंगमूल / पीएण्डआई / 2026 / 13697-13702

दिनांकः–~~19~~ 25.03.2026

ई–निविदा–सूचना

श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, हनुमानगढ़ जं0 द्वारा विभिन्न दुग्ध अवशीतन केन्द्रों पर दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों / संकलन केन्द्रो पर पशुआहार / सरस उत्पाद परिवहन हेतु लोडिंग वाहन के लिये एक वर्ष हेतु ई–निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निर्धारित इच्छुक परिवहनकर्ता / व्यक्ति / फर्म निविदा प्रपत्र वेबसाइट http://eproc.rajasthan.gov.in से दिये गये निर्देशानुसार अपलोड कर सकते है। विस्तृत निविदा संघ की वेबसाइट www.sriganganagarmilkunion.com पर देखी जा सकती है।

प्रबंध संचालक

प्रतिलिपीः–

1. प्रबन्धक प्रणाली, आरसीडीएफ0लि0, जयपुर।
2. प्रभारी लेखा / प्रभारी गुणनियत्रंण।
3. प्रभारी एमआईएस– कृपया संघ की वेबसाइट व http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करवायें।
4. अतिरिक्त निजी सचिव, प्रबन्ध संचालक।
5. सम्पादक ....को भेजकर लेख है कि उक्त ई–निविदा सूचना को आप अपने दैनिक हिन्दी पत्रिका में .... स्थान में शीघ्रताशीघ्र एक बार संघ के लोगो सहित प्रकाषित करें।
6. कार्यालय पत्रावली / रक्षित पत्रावली / नोटिस बोर्ड।

प्रबंध संचालक

SRIGANGANAGAR ZILA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LTD

Industrial Area, Hanumangarh Jn.-335512

Tel No. 01552-260793, 260522, Fax-262847, E- mail: gngmu-rj@nic.in

क्रमांक / गंगमूल / पीएण्डआई / 2026 / 13697-13702 दिनांकः- ~~19~~ 24.03.2026

ई–निविदा–सूचना

श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, हनुमानगढ़ जं0 द्वारा **विभिन्न क्षेत्र की दुग्ध समितियों पर पशुआहार परिवहन वाहन (मॉडल 2017 या उसके बाद का)** किराये पर लेने के लिए **1 वर्ष** हेतु ई–निविदाएं आमंत्रित की जाती हैंः–

क्र0 स0	कार्य एवं कार्यक्षेत्र	दूरी प्रति माह (अनुमानित)	वाहन वजन पास क्षमता	दर प्रकार	अमानत राशि	निविदा स्वीकृत पश्चात धरोहर राशि (FD,BG)
1	पशुआहार एवं अन्य सरस उत्पाद परिवहन– **दुग्ध अवशीतन केन्द्र सूरतगढ से सूरतगढ, पदमपुर, नोहर, पल्लू व भादरा क्षेत्र**	3000 किमी प्रतिमाह	1.5–9 टन पास	**प्रति क्विंटल**	50,000 ₹	3,00,000 ₹
2	पशुआहार एवं अन्य सरस उत्पाद परिवहन– **हनुमानगढ क्षेत्र**	3000 किमी प्रतिमाह	1.5–9 टन पास	**प्रति क्विंटल**	50,000 ₹	3,00,000 ₹

इच्छुक परिवहनकर्ता / व्यक्ति / फर्म निविदा प्रपत्र वेबसाईट **http://eproc.rajasthan.gov.in** से दिये गये निर्देशानुसार डाउनलोड कर दिनांक 30.03.2026 सांय 5.00 पी.एम. तक अपलोड कर सकते हैं। निविदाएं दिनांक 01.04.2026 को सांय 3.00 पी.एम. पश्चात् संघ कार्यालय में खोली जावेंगी।

निविदा शुल्क प्रति निविदा 1180 रूपये (जीएसटी सहित) व अमानत राशि 50000 रूपये श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, हनुमानगढ़ के नाम डी.डी. के रूप में तथा निविदा प्रोसेसिंग शुल्क प्रति निविदा 500 रूपए **MD, RISL, Jaipur** के नाम डीडी के रूप में संघ कार्यालय में निर्धारित दिनांक व समय पर जमा करवाना होगा। निविदा शुल्क अथवा निविदा प्रोसेसिंग शुल्क जमा नहीं करवाने पर निविदा निरस्त कर दी जावेगी। किसी भी निविदा प्रपत्र को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार प्रबंध संचालक, श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. के पास सुरक्षित है।

अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क करेंः– 01552–260793,
राजस्थान को–ओपरेटिव डेयरी फैडरेशन लि0 जयपुर हेल्प लाईन नं0 0141–2709444, 2709445

प्रबंध संचालक

प्रतिलिपीः–

1. प्रबन्धक प्रणाली, आरसीडीएफ0लि0, जयपुर।
2. प्रभारी लेखा / प्रभारी गुणनियत्रंण / प्रभारी दुग्ध अवशीतन केन्द्र नोहर / सूरतगढ / पदमपुर / हनुमानगढ क्षेत्र।
3. प्रभारी एमआईएस– संघ की वेबसाईट एवं http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करवायें।
4. अतिरिक्त निजी सचिव, प्रबन्ध संचालक।
5. नोटिस बोर्ड पीएण्डआई / कार्यालय पत्रावली / रक्षित पत्रावली

प्रबन्ध संचालक

SRIGANGANAGAR ZILA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LTD
Industrial Area, Hanumangarh Jn.-335512
Tel No. 01552-260588, 260522, Fax-262847, E-mail: gngmu-rj@nic.in

INSTRUCTIONS FOR SUBMISSION OF E-TENDER FORM & DOCUMENTS

1. The bidders who are interested in bidding can download tender documents from http://eproc.rajasthan.gov.in
2. Bidders who wish to participate in this tender will have to register on http://eproc.rajasthan.gov.in to participate in online tenders, Bidders will have to procure Digital Signature Certificate (type III) as per Information Technology Act-2000 using which they can sign their electronic bids. Bidders can procure the same from any CCA approved certifying agency, i.e. TCS, safe crypt, Ncode etc. or they may contact e-procurement Cell, Department of IT & C, Government of Rajasthan for further assistance. Bidders who already have a valid Digital certificate need not procure a new Digital Certificate.
   Address: e-Procurement Cell, RISL, Yojana Bhawan, Tilak Marg, C Scheme, Jaipur.
3. Bidders shall submit their offer on-line in Electronic formats however D.D. for Tender fee, Processing Fee and E.M.D. should be submitted manually in the office of Tendering Authority Before date & time of opening of bids without which tender form will not be accepted and scanned copy of D.D. should also be uploaded along with the online bid.
4. Before electronically submitting the tenders, it should be ensured that all the tender papers including conditions of contract are digitally signed by the tenderer.
5. The scan copy of tender form, rates & other relevant documents duly signed by Tenderer should be submitted online only.
6. If required by the Tenderer, training may be given by DOIT, Yojana Bhawan, Bidder Contact: E-Procurement Cell, 1st Floor, Yojana Bhawan Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur. Help Desk MOBILE: +91-78780-07972, +91-78780-07973 or 180030702232 Toll free, 24X7 E-mail- eproc.rajasthan.gov.in
7. Tender Form & handwritten rates would not be accepted in Tender Box.
8. Please read carefully the steps of submitting Tender online.
9. Bidders are also advised to refer "Bidders manual" available under "Downloads".

(Signed by the tenderer
in token of acceptance of above)

SRIGANGANAGAR ZILA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LTD
Industrial Area, Hanumangarh Jn.-335512
Tel No. 01552-260588, 260522, Fax-262847, E-mail: gngmu-rj@nic.in

Important Date and Time

Sr.	Particulars	Date / Time
1.	Date & time of Uploading tender form by Milk Union	24-03-2026
2.	Date & time of start of Uploading tender by tenderer	24-03-2026
3.	Last Date & time of Uploading tender by tenderer	30.03.2026 by 05:00 PM
4.	Last Date & time submission of :-	
I	EMD 50,000/- per route applied by DD in the name of SGNR ZDUSS Ltd., Hanumangarh	01.04.2026 at 02:00 PM At GANGMUL, HMH
Ii	Tender form fee Rs. 1180 (with GST) by DD in the name of SGNR ZDUSS Ltd., Hanumangarh	01.04.2026 at 02:00 PM At GANGMUL, HMH
iii	E-tender processing fee Rs. 500/- by DD / Banker cheque / pay order in the name of MD, RISL., Jaipur	01.04.2026 at 02:00 PM At GANGMUL, HMH
5.	Date & time of bid opening	01.04.2026 After 03:00 PM

(Signed by the tenderer
in token of acceptance of above)

SRIGANGANAGAR ZILA DUGDH UTPADAK SAHAKARI SANGH LTD
Industrial Area, Hanumangarh Jn.-335512
Tel No. 01552-260588, 260522, Fax-262847, E-mail: gngmu-rj@nic.in

आवश्यक निर्देश

1. निविदा का नाम	:–	सरस उत्पाद / पशु आहार परिवहन के लिये वाहन उपलब्ध करवाने हेतु
2. निविदा सूचना कमांक	:–	कमांक / गंगमूल / पीएण्डआई / 2026 / ....
3. निविदा फॉर्म शुल्क	:–	**1180 (एक हजार एक सौ अस्सी रूपये जीएसटी सहित)**
4. अमानत राशि (डीडी) (प्रत्येक वाहन हेतु)	:–	**50,000(पच्चास हजार रूपये)**
5. धरोहर राशि (निदिदा स्वीकृत पश्चात्)	:–	(1.5–9 टन वाहन हेतु) **3,00,000 (तीन लाख रूपये)**
6. अनुबंध अवधि	:–	**1 वर्ष हेतु**
7. वाहन का प्रकार	:–	**लोडिंग वाहन**
8. वाहन का मॉडल	:–	**वर्ष 2017 या उसके बाद का**
9. पत्राचार का पता एवं निविदा खोलने का स्थान	:–	पीएण्डआई कार्यालय, श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, औद्योगिक क्षेत्र, हनुमानगढ़ जं0--335512

हस्ताक्षर निविदादाता

ई–निविदा प्रपत्र

1. पथ का नामः– ....

2. ई–निविदा सूचनाः– **गंगमूल / पीएण्डआई / 2026 /** ....

3. निविदादाता का नाम श्री ....पुत्र श्री ....

4. पत्राचार हेतु पूरा पताः–..

....मोबाईल नं॰..

5. निविदादाता का आधार नं0 :– ....(संलग्न छायाप्रति अनुसार)

6. निविदादाता की फर्म का नाम (यदि है तो):– ....(फर्म संबंधित दस्तावेज संलग्न करें)

7. वाहन का मॉडल :– **वर्ष** ....

8. वाहन का नम्बर :– ....(वाहन आरसी संलग्न करें)

लोडिंग वजन पास क्षमता......................................

9. पत्राचार का पता एवं निविदा खोलने का स्थान :– पीएण्डआई कार्यालय, श्रीगंगानगर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, औद्योगिक क्षेत्र, हनुमानगढ़ जं0–335512

10. वाहन मेरा स्वयं का है एवं कागजात पूर्ण एवं सही हालत में हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता

निविदा भरते समय शर्ते

1. निविदादाता को ई–टैण्डर के माध्यम से ऑनलाईन निविदा भरनी होगी। निविदा शर्त मय हस्ताक्षर संलग्न करना अनिवार्य है।
2. निविदा टैन्डर नोटिस में दिये गये निर्धारित स्थान एवं दिनांक व समय को खोली जावेगी। निविदादाता निविदा खोलने के स्थान पर उपस्थित रह सकेगा।
3. प्रबन्धं संचालक न्यूनतम दर पर परिवहन ठेके को दिये जाने हेतु बाध्य नही होगें। प्रबन्धं संचालक को किसी भी निविदा को स्वीकार करने, निरस्त करने का अधिकार होगा और ठेका निरस्त करने पर किसी प्रकार का ठेकेदार को स्पष्टीकरण नही दिया जावेगा।
4. ठेकेदार को स्वंय या स्वंय के कार्यालय का पता देना होगा, जिस पर संघ द्वारा पत्र व्यवहार किया जा सके। ठेकेदार द्वारा दिये गये पते पर संघ द्वारा पत्र व्यवहार करने पर पत्र का मिलना माना जावेगा।
5. ठेकेदार द्वारा अधुरे एवं लापरवाही द्वारा भरे हुऐ निविदा फार्म को निरस्त किया जा सकेगा।
7. बिना अमानत राशि (डीडी) जमा करवाये निविदा मान्य नहीं होगी एवं अमानत एवं धरोहर राशि के रूप मे जमा रकम पर कोई ब्याज देय नही होगा।
8. वाहन निविदादाता के स्वयं के नाम पंजीकृत होना आवश्यक है तथा पंजीकरण प्रमाण पत्र की छाया प्रति निविदा प्रपत्र के साथ सलंग्न करनी होगी अन्यथा इसके अभाव में निविदा प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा। अगर कोई निविदादाता नया वाहन लगाना चाहता है तो निविदा खोलने की दिनांक के बाद का क्रय किया हुआ वाहन ही स्वीकार किया जावेगा एवं नये वाहन लगाने हेतु निर्धारित शपथ पत्र अथवा कोटेशन देनी होगी।
9. निविदा प्रपत्र के साथ प्रत्येक वाहन हेतु 50000 रूपये डीडी के रूप में व निविदा स्वीकृति पश्चात एवं कार्य आदेश जारी होने से पूर्व 3,00,000 रूपये 1.5–9 टन वाहन हेतु धरोहर राशि संघ में जमा करवानी होगी।
10. निविदा बीओक्यू में दर प्रति क्विंटल देनी होगी तथा किराया परिवहन की जाने वाली वास्तविक मात्रा का ही देय होगा जो कि परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित अधिकतम क्षमता तक देय होगा।
11. निविदा स्वीकृत होते ही यह माना जावेगा की निविदा दाता द्वारा निविदा शर्तो का अध्ययन कर लिया गया है तथा निविदा दाता द्वारा निविदा शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करने होगे। निविदा शर्तो में निविदा दाता को किसी भी शर्त को हटाने या जोडने का अधिकार नही होगा। यदि किसी निविदा दाता द्वारा निविदा शर्तो में किसी प्रकार का परिवर्तन / फेरबदल किया जाता है तो यह मान्य नही होगा तथा उक्त निविदादाता का टैन्डर निरस्त किया जा सकेगा।
12. यदि वाहन साझेदारी मे हो तो किसी एक साझेदार के हस्ताक्षर करवाने चाहिये, बर्शते उसके पास पावर ऑफ अर्टोनी हो। निविदा फार्म के साथ साझेदारी डीड संलग्न करनी होगी।
13. दो न्यूनतम दरों वाले निविदादाताओ की अमानत राशि संघ द्वारा रोकी जावेगी। द्वितीय न्यूनतम दर वाले निविदादाता की संघ मे जमा राशि प्रथम न्यूनतम दर वाले वाहन पथ मे लगने के उपरान्त ही लौटाई जा सकेगी।
14. पूर्व में यदि किसी वाहन ठेकेदार का कार्य सन्तोष – प्रद नही रहा है या ब्लैक लिस्ट घोषित किया गया है तो निविदा स्वीकृत नही की जावेगा।
15. किसी कारणवश से अगर पूर्व में वाहन को हटाया गया, बीच अवधि में अनुबंध निरस्त किया गया, दूध आदि चोरी करने पर हटाया / जुर्माना किया गया, संघ को कोई भी हानि पहुँचाने की कोशिश की गई, संघ के किसी अधिकारी या कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार जैसा कृत्य किया गया है तो ऐसी स्थिति में उसकी निविदा अस्वीकृत की जावेगी ।
16. अगर कोई वाहन ठेकेदार नया वाहन लगाना चाहता है तो अपना आवेदन / कॉटेशन / शपथ पत्र को निविदा पत्र के साथ प्रस्तुत कर सकता है, किन्तु निविदा स्वीकृत होने के पश्चात दिये गये समय पर नया वाहन मय आर. सी. प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा जमा अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।
17. अगर परिवहन ठेकेदार के संघ में तीन से अधिक वाहन अनुबंधित है तो वह निविदा नहीं भर सकेगा, अन्यथा बाद में अतिरिक्त वाहन होने पर भी वाहन हटाया जा सकेगा।
18. परिवहन ठेकेदार को 500 /-- रूपये के नोन जूडिसियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना होगा।
19. निविदा स्वीकृति उपरान्त निविदादाता को औपचारिकताऐं पूर्ण करने हेतु अधिकतम एक माह तक का समय दिया जायेगा।
20. निविदादाता को पैन कार्ड, आधार कार्ड की छायाप्रति साथ संलग्न करनी होगी।
21. किसी भी समिति / केन्द्र के अध्यक्ष / सचिव एवं संचालक मण्डल के सदस्य तथा गंगमूल के स्थायी या अस्थायी कर्मचारी का स्वयं का या पारिवारिक सदस्य का वाहन नहीं होना चाहिए। ऐसा ज्ञात होने पर अनुबंध अवधि के दौरान भी वाहन को हटाया जा सकता है। इस हेतु निविदादाता को निविदा फार्म के साथ 100 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र संलग्न करना होगा।
22. निविदा सूचना एवं निविदा फॉर्म में उल्लेखित समस्त शर्ते, निर्देशों एवं सूचनाओं को मैंने पढ़ लिया है, समझ लिया है, जो मुझ पूर्णतः स्वीकार हैं। जिसके सहमति प्रमाण स्वरूप मैंने / हमने निविदा फॉर्म के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किये हैं। निविदा कार्य अनुसार परिवहन दर निविदा के साथ BOQ में दर्शाई गई है। कोई भी तथ्य गलत या अधूरा पाया जाता है तो मेरी निविदा निरस्त कर दी जावे।

निविदा देने वाले के हस्ताक्षर

अनुबन्ध शर्ते

1 अमानत एवं धरोहर राशि के रूप में जमा रकम पर काई ब्याज देय नही होगा।

2. प्रथम बिल के साथ वाहन आरसी,पैन कार्ड,आधार कार्ड व बैंक खाते की फोटो प्रति प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा वाहन ठेकेदार को बिल का भुगतान सम्भव नही होगा।

3. ठेका अवधि कार्य प्रारम्भ करने की दिनांक से एक वर्ष तक मान्य होगी। विशेष परिस्थितियों में संघ द्वारा 3 माह के लिये अवधि बढाई जा सकती है।

5 निश्चित समय में स्वीकृत दर पर कार्य प्रारम्भ नही करने पर अमानत राशि जब्त कर किसी अन्य को ठेका दिया जा सकेगा।

4. ठेका समाप्त होने पर बकाया नही प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही अन्तिम बिल का भुगतान व धरोहर राशि लौटाई जावेगी।

5. ठेकेदार के किसी भी प्रकार की वसूलियों को ठेकेदार के बकाया बिल से या धरोहर राशि / सम्पत्तियों से वसूल करने का पूर्ण अधिकार संघ को होगा एवं ठेकेदार के कर्मचारी या प्रतिनिधि द्वारा की गई गलती हेतु वाहन ठेकेदार स्वंय जिम्मेवार होगा।

6. अगर ठेकेदार द्वारा ठेका बीच में छोड दिया जाता है तो उसकी धरोहर राशि एवं अन्य बकाया राशियां जब्त कर ली जावेगी।

7. कार्यालय को बिना अनुमति के ठेकेदार अपना ठेका दूसरे ठेकेदार को ट्रांसफर नही कर सकेगा। विशेष परिस्थितियों में ठेका 25000 /- रूपये स्थानांन्तरण शुल्क जमा करवा कर ही स्थानांन्तरित किया जा सकेगा।

8. ठेकेदार द्वारा वाहन नही भेजने पर अथवा दिन में एक से अधिक बार वाहन नहीं भेजने पर कार्यालय द्वारा कोई व्यवस्था की गई तो उसका पूर्ण व्यय ठेकेदार से वसूल किया जावेगा एवं आदेश अवहेलना की शास्ती भी आरोपित की जा सकेगी।

9. वाहन में डीजल की व्यवस्था हेतु ठेकेदार स्वंय जिम्मेवार होगा।

10. वाहन में अनाधिकृत व्यक्ति / सवारियां / माल लाने पर चैकिंग के समय 500 /- प्रति सवारी जुर्माना किया जा सकेगा।

11. वाहन ठेकेदार द्वारा किसी भी प्रकार से हेरफेर, गड़बड़ी करने अथवा गलत भुगतान प्राप्त करने अथवा किसी भी प्रकार के सामान के निर्धारित स्थान पर नहीं पंहुचने पर संघ के नुकसान की भरपाई के साथ साथ 21000 रूपये तक का जुर्माना भी किया जा सकेगा।

12. किसी भी शर्त का उल्लघंन या कार्यालय / समिति के कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार अथवा आदेश की अवहेलना करने पर 5000 रूपये तक का आर्थिक दण्ड एवं ठेका समाप्त करने का अधिकार संघ को होगा।

13. संघ की आवश्यकतानुसार वाहन उपयोग किया जा सकेगा, खड़ी गाड़ी का कोई किराया देय नही होगा संघ को वाहन की आवश्यकता नही होने पर अनुबंध बीच में निरस्त किया जा सकेगा।

14. ठेकेदार को संघ का नोमिनल सदस्य बनना होगा जो कि संघ में 100 रूपये जमा करवाकर बनेगा, जिस पर ठेकेदार को एतराज नही होगा।

15. वाहन का माईलोमीटर सही एवं कार्यशील होना चाहिये।

16. बिना पूर्व सूचना के वाहन निर्धारित समय से आधा घण्टा लेट लाने की स्थिति मे 500 रूपये जुर्माना व वाहन न भेजने की स्थिति मे 1,000/- रूपये प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना किया जा सकेगा।

17. ऑवरलोड एवं अन्य किसी भी प्रकार की परिवहन विभाग/अन्य किसी भी विभाग की पैनल्टी/चालान हेतु परिवहन ठेकेदार ही जिम्मेवार होगा एवं संघ द्वारा पैनल्टी की भरपाई नहीं की जावेगी।

निविदादाता हस्ताक्षर

18. माल लोड होने के बाद सुरक्षित पंहुचाने की जिम्मेवारी परिवहन ठेकेदार की होगी एवं माल कम पाये जाने अथवा रास्ते में किसी भी कारण से माल के नुकसान की भरपाई परिवहन ठेकेदार से की जा सकेगी तथा शास्ती भी लगाई जा सकेगी।
19. वाहन गुडस परमिट नम्बर पंजीकृत ही मान्य होगा।
20. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वाहन ठेकेदार को दुर्घटना बीमा की व्यवस्था अपने स्तर पर करवानी होगी एवं बीमा पत्रो की फोटो कापी संघ कार्यालय मे देनी होगी।
21. वाहन ठेकेदार को भुगतान हेतु बिल प्रिटेड स्वीकृत प्रारूप में हर माह में दो बार दिनांक 1 से 15, 16 से 30/31 तक तीन प्रतियों में निर्धारित समय में देना होगा।
22. किसी भी परिवहन ठेकेदार के संघ में तीन से अधिक वाहन अनुबंधित नहीं होने चाहिए, अन्यथा पता चलने पर अतिरिक्त वाहनों को हटाया जा सकेगा।
23. यदि ठेकेदार के किसी कृत्य से संघ की साख पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है तो ठेकेदार की संघ में जमा अमानत राशि, धरोहर राशि व बकाया परिवहन बिलों की राशि जब्त करते हुए ठेका निरस्त करने का अधिकार संघ को होगा।
24. वाहन पर जीपीएस सिस्टम लगवाना होगा। वाहन ठेकेदार द्वारा जीपीएस सिस्टम को सुचारू रूप से चालु रखना आवष्यक होगा। जीपीएस नहीं लगा होने या बन्द होने की स्थिति में 500 रूपये जुर्माना वसूल किया जावेगा।
25. अनुबंधित वाहन में संघ की आवश्यकता अनुसार माल परिवहन करवाया जा सकेगा एवं संघ को आवश्यकता होने पर ही वाहन उपयोग में लिया जा सकेगा।
26. किसी भी प्रकार का टैक्स, सर्विस टैक्स, राहगीरी या टोल लगता है तो उसका भुगतान संबंधित ठेकेदार द्वारा ही किया जायेगा एवं उसकी समस्त जुम्मेवारी ठेकेदार की होगी एवं संघ द्वारा कोई पुनर्भरण नहीं किया जायेगा।
27. अनुबंधित वाहनों को सरस के अन्य उत्पाद/पैकिंग मैटेरियल इत्यादि/अन्य कार्य हेतु आउटसोर्स संयंत्र या अन्य दुग्ध संघ भी भिजवाया जा सकेगा।

निविदादाता का पूरा नाम.......................................
स्थाई पता :–...
....

हस्ताक्षर

नया वाहन क्रय कर लगाने हेतु Annexure–1

(प्रारूप शपथ पत्र 100 रूपए के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर देय होगा)

मैं/ हम .... पुत्र श्री.. निवासी ....शपथपूर्वक घोषणा करता हूं/हैं, कि संघ द्वारा सफल निविदादाता घोषित किये जाने पर मैं/हम निविदा शर्तानुसार नया वाहन को निर्धारित समय अवधि में उपलब्ध करा दूंगा/करा देंगे अन्यथा मेरी/ हमारी अमानत राशि संघ द्वारा जब्त कर ली जावे।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता
(निविदादाता)

समिति सदस्य ना होने हेतु Annexure–2

(प्रारूप शपथ पत्र 100 रूपए के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर देय होगा)

मै / हम .... पुत्र श्री.. निवासी ....शपथपूर्वक घोषणा करता हूं / हैं, कि मै / हम संघ के किसी भी समिति / केन्द्र के अध्यक्ष / सचिव एवं संचालक मण्डल के सदस्य तथा गगमूल के स्थायी / अस्थायी कर्मचारी नही है तथा ना ही कोई पारिवारिक सदस्य है। यदि यह तथ्य झूठा पाया जाता है तो मेरी / हमारी अमानत राशि संघ द्वारा जब्त कर ली जावे।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता
(निविदादाता)